

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन , ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 , ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-581 / 2023) / अलेसे-III / 6810

दिनांक:- 08/09/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री सुनीता स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 766469) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (सीएमएसडीसी), जयपुर के पत्र क्रमांक 2767 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 1815 दिनांक 30.07.2025 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 06.05.2025 से 19.06.2025 तक (कुल 45 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री सुनीता स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

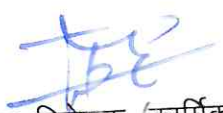

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 08/09/2025

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-581 / 2023) / अलेसे-III / 6810

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (सीएमएसडीसी), जयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदय।
- 3 सुश्री सुनीता स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 766469) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ (सीएमएसडीसी), जयपुर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 5 रक्षित / निजिपत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)